of the Governing Council of the Institute.

(d) No action was taken by Government as, according to the Director of the Institute, this was not the first case of this kind and there was nothing illegal about it.

SHRI R. K. MHALGI: How many other cases have there been of this kind—of admitting non-students in the hostel of the Film Institute?

SHRI L. K. ADVANI: There have been two precedents earlier, as far as I recall; there has been no admission to the course as such; they were permitted to stay in the hostel on payment of the normal charges.

SHRI R. K. MHALGI: What are their names?

SHRI L. K. ADVANI: Mrs. Murthy, wife of the former Director, was permitted to stay in the hostel for a brief period on payment of the normal charges. There was another case of a student who was studying in the archives; he was permitted to stay, although he was not a student of the Institute; as a non-student he was permitted.

SHRI SONU SINGH PATIL: Is there any discretion given to any one in this regard?

SHRI L. K. ADVANI: There is no discretion as such; there is no rule empowering any one, either the Chairman or the Vice Chairman, to allow any one to stay there, but there is no prohibitory rule either. I have just cited the precedents.

SHRI YESHWANT BOROLE: May I know whether there are any rules and regulations governing admission to this hostel, and if there are no rules and regulations, how can it be said that it was illegal?

SHRI L. K. ADVANI: Some one may point out that there is an irregularity of some kind, and that would apply even to the earlier cases, not merely to this case. But there is no illegality as such.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Apart from her admission to the hostel, did this girl also participate in the classes conducted by the Film Institute?

SHRI L. K. ADVANI: According to my information, she did not participate in the classes that were conducted by the Institute. But she attended classes on dancing—from a teacher there. Dancing is not one of the courses that the Institute of Pune conducts.

भूतपूर्व रेल मंत्री की मृत्य के बारे में नये सिरे से जांच के लिये अनुरोध

+

*257. **श्री मत्युंजय प्रसाद वर्मा :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रेल मन्त्री स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की विधवा ने अपने पत्रों में प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री से अनुरोध किया है कि वह 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुई बम-विस्फोट की घटना की मैथ्यू आयोग द्वारा की गई जांच से सन्तुष्ट नहीं है जिसमें उनके पति के प्राण गये और कि उसके पास ऐसी जानकारी है जिसकी सहायता से वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकता है; और इसीलिये इस सम्बन्ध में नये सिरे से जांच की जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके पत्र की एक प्रति सभी-पटल पर रखी जायेगी और

उसके अनुरोध पर सरकार की प्रतिक्रिया तथा निर्णय क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). इस विषय पर गृह मन्त्री को श्रीमती ललित नारायण मिश्र से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है । सरकार को मैथ्यू आयोग की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है जिसकी जांच की जा रही है । 2 जनवरी, 1975 को बम विस्फोट की घटना, जिसके परिणामस्वरूप भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री ललित नारायण मिश्र की मत्यु हुई थी न्यायाधीन है और इस अवस्था में इस पर कोई और टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा ।

पत्र की प्रति

8, कृष्णा मेनन मार्ग,
नई दिल्ली—11
11-5-1977

आदरणीय सिंह जी,

नमस्कार ।

अत्यन्त ही दुखी होकर मैं यह पत्र आपको लिख रही हूं । पिछले ढाई सालों में मैं चुप रही क्योंकि मैथ्यू कमीशन बैठ चुका था । जगन्नाथ जी भी बिहार के मुख्य मन्त्री हो गए । मैंने उनसे मिश्राजी की हत्या की पूरी तरह जांच कराने को कहा तो जवाब मिला कि बहुत दिन बीत चुके हैं, अब कुछ पता नहीं चल सकता । आपात स्थिति के कारण भी मैं कुछ कह नहीं सकती थी । आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि मैथ्यू कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । मुझे बड़ी आशा थी कि कमीशन मुझे बुलाएगा और मुझ से पूछेगा कि मेरे स्वर्गीय पति श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के बारे में मैं क्या कहना चाहती हूं । यदि कमीशन मुझे मौका देता तो मैं यह कह सकती थी कि मिश्राजी की हत्या के पहले की परिस्थिति क्या थी और मुझे किन व्यक्तियों पर शक है । परन्तु बहुत अफसोस और क्षोभ के साथ कहना पड़ता है कि मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया । गांव में एक छोटी सी चोरी होती है तो दारोगा पूछता है कि आपको किस पर शक है । आश्चर्य है कि देश में इतनी बड़ी बात हो गई और न तो सरकार ने न मैथ्यू कमीशन ने मुझ से कुछ पूछा । अखबारों में यह भी पढ़ा कि कमीशन केवल सी० बी० आई० की रिपोर्ट के आधार पर कार्य कर रही थी । उसे किसी अन्य जांच करने वाली कमेटी का सहयोग प्राप्त नहीं था । कमीशन पर कई प्रतिबन्ध लागू थे जिनके कारण वह स्वतन्त्रतापूर्वक मिश्राजी की हत्या से सम्बन्धित जो शक थे उनकी पूरी तरह जांच नहीं कर सकता था ।

मेरा हृदय बहुत भरा हुआ है । मुझे आपके न्याय पर पूर्ण भरोसा है । मैं चाहती हूं कि मेरे पति स्वर्गीय श्री मिश्राजी की हत्या की पूरी और निष्पक्ष जांच नये सिरे से हो । सड़क पर मामूली सी दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थान को उसी तरह अधिकारियों द्वारा जांच होने तक छोड़ दिया जाता है । अन्य बातों के अलावा इस बात का पता लगाया जाए कि समस्तीपुर का मंच जहां बम फटा था, रातों रात क्यों उजाड़ दिया गया ।

मैं तो आपसे स्वयं मिलना चाहती थी पर आप इस बीच में विधान सभा के चुनाव में व्यस्त होंगे । आपको शायद मालूम हो कि इस बीच हमारे घर में एक और दुर्घटना हो गई । मिश्राजी की मृत्यु के बाद से मेरे ज्येष्ठ दामाद बहुत बीमार रहने लगे पर कोई देखने वाला नहीं था । हार कर मैं ही उन्हें दो बार बम्बई ले गई पर हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और उसके छोटे-छोटे बच्चे पटना में

हैं। उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए मैं महीने भर के लिये पटना जा रही हूं। वहां मेरा पता निम्नलिखित है :

श्रीमती ललित नारायण मिश्र,

9, छज्जूबाग, पटना।

मैं आपके पत्र की प्रतीक्षा करूंगी।

आपकी दुखी बहन,

हस्ता० कामेश्वरी मिश्रा।

श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा : मैं सबजुडिस मामले की बात नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी अनियमितताएं ऐसी हुई हैं, जिन्हें आप क्रिमनल भले ही न कहें, लेकिन बहुत बुरी बातें कहेंगे जैसे कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में सवाल करना चाहता हूं कि समस्तीपुर में इस दुर्घटना के बाद लगभग 2 घंटे तक ट्रेन रुकी रही, रोगी पड़े रहे, न उन्हें दरभंगा ले जाया गया न पटना। उसके बाद पटना में भी बहुत देर लगी, ट्रेन बहुत धीरे धीरे आई। पटना स्टेशन पर गाड़ी को न रोककर जहां डाक्टर उनकी जांच करने के लिए तैयार थे, उसे दानापुर ले जाया गया जहां रेलवे हास्पिटल है। दानापुर में जा कर गाड़ी रुकी और वहां डाक्टर बुलाए गए पटना से। वे बहुत देर में पहुंचे। कहा जाता है कि तब तक बहुत काफी देर हो चुकी थी। रेलवे के डाक्टर ने जिन्होंने समस्तीपुर में इनकी जांच की थी बहुत मामूली चोट बताई थी। उन्हें कोई खतरे की बात नहीं दिखी। अब वह डाक्टर सानुब कितने चतुर थे कितने समझदार थे यह भगवान जानें। इस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछ रहा हूं।

उसके बाद अब सभी सम्भावनाओं को दृष्टि में न रखकर केवल एक दो सम्भावनाओं को लेकर जांच की गई। वह आपके सब-जूडिस मामले के भीतर शायद आ जाय इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूं। मैं केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा। श्रीमती मिश्रा ने आपसे प्रार्थना की है और आपने भी कुछ कहा है जिसके बारे में मेरे प्रश्न में भी यह है--

"the decision taken by the Government on her request."

तो उनसे क्या आपकी मुलाकात अभी तक हुई है ? वह तो यहां आने से लाचार हैं ऐसा उन्होंने लिखा है। तो क्या आपकी ओर से कोई उनसे जाकर मिला है और उनसे मालूम किया है कि उनके दिल में क्या है, उनके मन में किस पर शकोसुबहा है ?

श्री चरण सिंह : उनके इलाज के सम्बन्ध में क्या देरी हुई, ट्रेन क्यों रोकी गई और जब दानापुर स्टेशन पहुंचे तो वहीं इलाज क्यों नहीं किया गया इन सब बातों के सम्बन्ध में मैथ्यू कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। लेकिन उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, वे किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं अभी वह बताना मैं उचित नहीं समझता हूं क्योंकि रिपोर्ट जिस रोज आई है उसके छः महीने की अवधि के अन्दर वह रिपोर्ट सदन के सामने पेश होगी और उस पर सदन के माननीय सदस्यों को बहस करने का पूरा मौका होगा।

जो दूसरा सवाल पूछा है कि आया कोई उनका पत्र मेरे पास आया था, मैं शायद उसका जवाब दे चुका हूं कि उनका पत्र आया था और हमने एक डी० आई० जी०, सी० बी० आई० को उनके पास भेजा था। पहली जून को उनके गांव में उनकी मुलाकात हुई और घंटे भर तक उस आफिसर ने उनसे बात की। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। गालिबन उस रिपोर्ट में लिखा है या और किसी तरीके

से मुझे मालूम हुआ है कि उनकी इच्छा यह थी कि 20-21 जून को प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगी और मुझसे मिलेंगी। कम से कम मुझ से मुलाकात तो नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर से मिली या नहीं, यह मैं उनसे पूछ नहीं सका। वे यहां मौजूद हैं, और बतला रहे हैं कि उनसे भी नहीं मिलीं।

श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा : अब उसमें एक बात और यह रह जाती है कि उनके देवर यानी श्री ललित नारायण मिश्र के छोटे भाई श्री जगन्नाथ मिश्र जो कुछ समय पहले तक बिहार राज्य के मुख्य मंत्री थे जिनके बारे में लोगों का ऐसा विश्वास है कि उनके मरने के बाद उन्हें यह पद कुछ पारितोषिक या पुरस्कार के तौर पर मिला था, क्या उन्होंने उनको यह लिखा है कि इतनी देर हो गई है, अब कुछ पता नहीं चलेगा ऐसा क्या पत्र में लिखा है और क्या ऐसे विचार से सरकार सहमत है? अगर नहीं सहमत है तो केस चलता रहे लेकिन ऐसा भी तो हुआ है कि बहुत से केस के फैसले हो चुके हैं, उसके बाद भी दोबारा तफतीश करके और लोगों को पकड़ा गया है या पुराने अपराधियों को छोड़ा गया है। ताकि अन्याय न हो। सही न्याय के लिए बाद में भी तफतीश चलती रहती है और एन्क्वायरी खत्म नहीं होती, तो सरकार की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री चरण सिंह : इस विषय में जो मैं अभी कह चुका हूं, उसी को फिर दोहराना चाहूंगा--इस सम्बन्ध में केस चल रहा है, उस केस के चलते अगर गवर्नमेंट जरूरत समझती है तो कोई दूसरी एन्क्वायरी करेगी--इसके बारे में मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री गौरी शंकर राय : मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय जो जांच हो रही है और उसके बाद श्रीमती मिश्र का जो खत आप को मिला है, उसको दृष्टि में रखते हुए क्या टर्म्स आफ रेफेन्स में कोई संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करने की आवश्यकता आप समझते हैं?

श्री चरण सिंह : मैंने यह नहीं कहा है कि जांच हो रही है, बल्कि बाकायदा स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चल रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्ज चल रही हैं। चूंकि यह मामला विचाराधीन है, सब-जूडिस है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इस सिलसिले में कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है--मैं आपकी इजाजत से कह सकता हूं--कि उनसे किसी ने कुछ नहीं पूछा है। अगर कोई मामूली सी घटना भी हो जाती है, रोड-एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, तो सम्बन्धित व्यक्ति से, एग्रीव्ड पार्टी से भी तहकीकात की जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ऐसी बात कैसे लिखी है, क्योंकि तत्कालीन डायरेक्टर, सी० बी० आई० दो बार उनके मकान पर जो कर मिले थे और वह कोई नई बात नहीं बतला सकीं थीं। अभी हाल में मैंने एक डी० आई० जी० को उनके पास भेजा था, वे उनके मकान पर मिले और घन्टा भर उनसे बात की। उन्होंने अपनी शंका तो प्रकट की, लेकिन कौन आदमी जिम्मेदार है, ऐसी कोई बात नहीं बता सकीं। अब जो कार्यवाही चल रही है, उसके खत्म होने के बाद, चाहे उसका परिणाम माफिक हो या खिलाफ हो, अगर गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची कि तहकीकात ठीक से नहीं हुई है या दूसरे एंगल से एन्क्वायरी की जरूरत है तो और कानून में उसकी इजाजत है तो सरकार को ऐसी जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री लालजी भाई : सी० बी० आई० का प्रतिनिधि श्रीमती मिश्र से दो बार मिला और अभी हाल में भी आपने एक अधिकारी को भेजा, लेकिन क्या यह सम्भव नहीं है कि श्रीमती मिश्र के कहे अनुसार उसने बयान न लिया हो या उस तरह से उन को बयान न देने दिया हो ? क्या सरकार श्रीमती मिश्र के लिखे हुए ब्यान को देखेगी —जो ब्यान वे देना चाहती है--क्या वे बातें उस में आ गई हैं ?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ पाया हूं—उन का कहना है कि श्रीमती मिश्र ने जो कहा है—वह और जो डायरेक्टर, सी० बी० आई० पहले उन के पास गए और फिर 1 जून को मैंने एक डी० आई० जी० को उन के पास भेजा—उस में कोई तालमेल है । मैं यह समझता हूं कि यह एक हाइपोथेटिकल बात है । मैं कैसे मान लूं कि जिन बड़े-बड़े अफसरों को भेजा गया, वे गलतबयानी करेंगे । अगर आप के पास कोई ऐसी सूचना हो या श्रीमती मिश्र यह कहें कि मैंने यह कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, तो यह बात समझ में आ सकती है । लेकिन डी० आई० जी० के लेवल का आदमी जाता है, उस के प्रति ऐसी आंशका करना मुझे ठीक नहीं जंचता है, इस में उस का अपना क्या इन्टरेस्ट है ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : प्रश्न में दो बातें बहुत साफ हैं :—
She is not satisfied with the Mathew Commission report and secondly, she has in her possession some facts which can lead to the arrest of the real culprits.

इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं—क्या उन्हें मैथ्यू कमीशन की रिपोर्ट उपलब्ध हुई है, उस में जो बातें लिखी हैं—वे गलत हैं या सही हैं—इस के बारे मे उन की क्या प्रतिक्रिया है ?

जब उन के पास ऐसी इन्फर्मेशन है कि रीअल-कल्प्रिट कौन है.....

श्री चरण सिंह : ऐसी इन्फर्मेशन नहीं है ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : लेकिन प्रश्न में यही है, चिट्ठी में भी यही है । मैं जानना चाहता हूं—जिस समय कोई केस चलता रहता है, यदि उस समय कोई ऐसी बात सामने आती है जिस से मालूम होता है कि जो पकड़े गए है, वे गलत लोग पकड़े गये हैं और जो दूसरे लोग पकड़े जायेंगे वे सही लोग पकड़े जायेंगे तो केस के ट्रायल को रोककर फिर से एन्क्वायरी की जाती है और रीअल-कल्प्रिट्स के सामने लाया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में आप क्या स्टैप्स लेने जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती एल० एन० मिश्र ने वह रिपोर्ट देखी नहीं है । क्या कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, यह उन को नहीं मालूम । इसलिए यह कहना कि वे उस से संतुष्ट नहीं हैं, कोई अर्थ नहीं रखता है । अगर उन के सामने तथ्य आते, तो जो इन्क्वायरी का स्कोप था उसमें जो उस के निष्कर्ष थे, हो सकता है कि वे उन से सहमत होतीं ।

यह जो दूसरी बात कही गई है कि उन के पास इन्फार्मेशन है कि सही

माइने में सही दोषी कौन लोग थे, तो इस के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पत्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है । उन का जो कहना है वह केवल निगेटिव कहना है कि और लोग दोषी हैं । सिर्फ निगेटिव ही उन्होंने कहा है और पाजिटिव कुछ नहीं कहा है । जो डी० आई० जी० उन से पूछताछ करने गये थे, उन को भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया । अब अगर इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों के पास ऐसी कोई सूचना है, तो उन से मालूम कर लिया जाएगा और वे हमें इस बारे में बतायें । उन्होंने मिलने के लिए कहा था लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं आ पाई । अगर उन के पास ऐसी कोई इन्फार्मेशन है जिस को गवर्नमेंट रिलायएबिल समझती है और कानून अगर इजाजत देता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया है, दोबारा हम को इंक्वायरी कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: If the hon. Home Minister in his spare time will kindly read the debates of this House on late Lalit Narain Mishra's death where the grenade planting in the rostrum was clearly analysed, it will benefit him.

My question is: whether the Home Minister has taken a careful note of the fact that Dr. Bhalla, the then Chief Medical Officer of the North Eastern Railway gave a clear statement on the following day that Shri Lalit Narain Mishra, as a result of the grenade blast, did not receive anything more than a shock, that he was discharged after giving only first aid and that there was a suspicion in the public mind that something was administered during the train journey to Danapur. Will he kindly clarify on that and throw some light?

SHRI CHARAN SINGH: The hon. Member has raised two questions: (1) whether the government is prepared to have a debate on the report....

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: We had a debate.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: He was giving you guidance. Please read that debate.

SHRI CHARAN SINGH: I have already told the House that the Government will place the report before the House and the House will be free to debate it.

Then the hon. Member wants to know the finding on a certain question. As I already said, it is not appropriate for me to say anything.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: There is a clear report where the Chief Medical Officer of the North Eastern Railway, Dr. Bhalla had given a clear statement that the late Shri Lalit Narain Mishra had received nothing more than a shock after the grenade blast; and is it a fact that something was done to him during the journey from Samastipur to Danapur as a result of which the poor man died of cardiac arrest?

SHRI CHARAN SINGH: The learned Judge who headed the Commission and the Commission itself has taken all these facts into consideration and has submitted the report.

MR. SPEAKER: The Question Hour is over. It is now 12 O'Clock.

Papers to be laid.